

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रायगढ़ (छ.ग.)

:- आदेश :-

क्रमांक/11127/न्या.लि./कोरोना सेल/2020

रायगढ़, दिनांक 23/07/2020

कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण के बचाव एवं रोकथाम हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक/40-3/2020-DM-I(A) दिनांक 01.05.2020 तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेश एवं मार्गदर्शक मानक प्रचालन प्रक्रियाओं के परिपालन में जिला रायगढ़ (छ0ग0) के विकास खण्ड / तहसील खरसिया क्षेत्रान्तर्गत के ग्राम खरसिया के चारेंटाईन सेंटर : "आदिवासी बालक छात्रावास एवं वंदे मातरम उच्च. माध्य. विद्यालय ठाकुरदिया" में रह रहे व्यक्तियों में से कुल-03 (तीन) व्यक्ति के कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमित पाये जाने के कारण तहसील खरसिया अन्तर्गत निम्नांकित क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन एवं बफर जोन घोषित किया जाता है :-

क.	कंटेनमेंट जोन	बफर जोन
1	1-आदिवासी बालक छात्रावास का सम्पूर्ण परिसर 2-वंदे मातरम उच्च. माध्य. विद्यालय ठाकुरदिया सम्पूर्ण परिसर	1-एफ.सी.आई. मोहल्ला, 2-मण्डी क्षेत्र मोहल्ला, 3-वार्ड नं. 18 ठाकुरदिया

(A) कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत निम्नानुसार कार्यवाही की जावेगी :-

- 1- अत्यावश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति तथा अपरिहार्य स्वास्थ्यगत आपातकालीन परिस्थितियों को छोड़कर कंटेनमेंट जोन में जाने या आने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। कंटेनमेंट क्षेत्र के निवासी बिना सक्षम अनुमति अपने घरों से बाहर किसी भी परिस्थिति में नहीं निकलेंगे। उक्त चिन्हांकित क्षेत्र में पूर्ण लॉकडाउन रहेगा।
- 2- उक्त चिन्हांकित क्षेत्र अंतर्गत सभी दुकानें, ऑफिस एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अगले आदेश तक पूर्णतः बंद रहेंगे।
- 3- कंटेनमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यदि किसी भी प्रकार की आवश्यकता होती है उसके लिये पृथक से इस कार्यालय द्वारा आदेश प्रसारित किये जायेंगे।
- 4- प्रभारी अधिकारी द्वारा कंटेनमेंट जोन में पहुंच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर की जावेगी।
- 5- जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संबंधित क्षेत्र में शासन के निर्देशानुसार स्वास्थ्य निगरानी, सेम्पल की जांच आदि आवश्यक व्यवस्थाएं की जावेगी।

(B) कंटेनमेंट जोन में कार्यवाही हेतु निम्नानुसार दायित्व सौंपा जाता है :-

क्र.	गतिविधियां	प्रभारी अधिकारी का पदनाम
1	कानून/पुलिस व्यवस्था, कंटेनमेंट जोन को सील करने एवं गप्त करने आवश्यक पुलिस व्यवस्था	1- श्री गिरीश कुमार रामटेके, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, खरसिया मो. नं. 99074-15109 2- श्री पिताम्बर पटेल, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) खरसिया मो. नं. 93400-32009

2	केवल 01 प्रवेश एवं निकास की व्यवस्था हेतु बेरिकेटिंग	1-श्री एस.के. बरूआ, अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग (भ/स) खरसिया मो.नं. 98938-29487 2-श्री सुमत राम साहू, थाना प्रभारी खरसिया मो.नं. 90099-37333
3	कंटेनमेंट जोन में सेनेटाइजेशन व्यवस्था	श्री टामसन रात्रे, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, खरसिया मो.नं. 79873-92900
4	घरों का एक्टिव सर्विलांस, स्वास्थ्य टीम के एस.ओ.पी. अनुसार दवा, मास्क, पी.पी.ई. इत्यादि उपलब्ध कराने एवं बायोमैडिकल अपशिष्ट प्रबंधन।	1-डॉ. सुरेश राठिया, खण्ड चिकित्सा अधिकारी, खरसिया मो.नं.-94255-73101 2-श्री भास्कर देवांगन, विकासखण्ड कार्यक्रम प्रबंधक, मो.नं. 94792-49650
5	उपरोक्त दर्शित क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु	1- श्री रामदयाल साहू, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, खरसिया मो.नं. 93991-10366 2- श्री विवेक कुमार पटेल, प्रभारी तहसीलदार, खरसिया मो.नं.-75099-54555
6	कंटेनमेंट जोन अंतर्गत आरोग्य सेतु एप्प का शत प्रतिशत कवरेज	श्री अशोक कुमार भारद्वाज, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, खरसिया, मो.नं.-94060-56874

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(भीम सिंह)
कलेक्टर

एवं जिला दण्डाधिकारी
रायगढ़ (छ.ग.)


पृ0क्रमांक/11127-ए/न्या.लि./कोरोना सेल/2020

रायगढ़, दिनांक 23/07/2020

प्रतिलिपि :-

- 1- अपर मुख्य सचिव, छ0ग0शासन, गृह विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर
- 2- सचिव, छ0ग0शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर
- 3- सचिव, छ0ग0शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर,
- 4- सचिव, छ.ग. शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर।
- 5- आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर (छ.ग.)
- 6- महानिरीक्षक (पुलिस), बिलासपुर जोन, बिलासपुर (छ.ग.)
—की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- 7- पुलिस अधीक्षक, जिला रायगढ़ (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
कृपया कोविड-19 के संबंध में समुचित सुरक्षा व्यवस्था करना सुनिश्चित करें।
- 8- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रायगढ़
- 9- अनुविभागीय दण्डाधिकारी, खरसिया
- 10- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायगढ़

- 11- अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), खरसिया
- 12- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, खरसिया
- 13- अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग (भ/स) खरसिया
- 14- तहसीलदार, खरसिया
- 15- खण्ड चिकित्सा अधिकारी, खरसिया
- 16- विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, खरसिया
- 17- मुख्य नगर पंचायत अधिकारी, नगर पालिका परिषद खरसिया
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 18- उप संचालक जनसंपर्क जिला रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं प्रकाशनार्थ प्रेषित।
- 19- सर्व संबंधित की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित।



कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
रायगढ़ (छ.ग.)